कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुजफ्फरनगर

पत्रांक :प–12/सीएफओ/एनओसी–पे0/मु0नगर/20 दिनांक :जुलाई, 10 ,2020

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)
मुजफ्फरनगर।

विषयः मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय, आबू का मकबरा, केसरगंज मेरठ के द्वारा खसरा नं0–128, स्थित ग्राम,बेगमपुर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर पर प्रस्तावित MS/HSD रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

सन्दर्भः आपके पत्र सं0: 04/शस्त्र सहायक–। दिनांकः 23–03–2020 तथा इस कार्यालय को प्राप्त दिनांकः 08–07–2020 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र एवं संलग्न मानचित्र एवं प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री ऋषव पवॉर द्वारा कराया गया। प्राप्त आख्या दिनांक 09–07–2020 का परिशिलन किया गया। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1– **प्रस्तावित स्थल :–**

खसरा नं0–128, स्थित ग्राम–बेगमपुर, तहसील व, जिला मुजफ्फरनगर जिसका कुल भूखण्ड एरिया–1400.00 वर्ग मीटर, प्रस्तावित कवर्ड एरिया केनओपी–322.00 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया बिंल्डिग–32.50 वर्ग मीटर में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा 1x20 KL MS क्लास 'ए' व 1x20 KL HSD क्लास 'बी' के न्यू रिटेल आउटलेट टैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं जा रही है। प्रस्तावित स्थल के सामने 20.00 मीटर रोड (स्टेट हाइवे) पीछे एग्रीकल्चर लैण्ड , साइड-I में 35 मीटर दूरी पर गैलेक्सी कॉन्वेन्ट स्कूल व साइड-II में 11 मीटर दूरी पर रजत धर्म कॉटा पूर्व से निर्मित है।

2– **पहुॅच मार्ग :–**

उक्त प्रश्नगत स्थल के सामने मेटल रोड की चौडाई 20.00मीटर (स्टेट हाइवे)है। जिसमें अग्निशमन के वाहन आ–जा सकते है।

3– उक्त स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार अन्य किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली

HSD/MS न्यू रिटेल आउटलेट के प्रस्तावित स्थल पर निम्नानुसार अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना प्रस्तावित है–

1–	फायर एक्सटिंग्युशर एबीसी टाईप क्षमता 09 के0जी0–	06 अदद
2–	ए0एफ0एफ0एफ0 क्षमता 9 लीटर –	03 अदद
3–	फायर एक्सटिंग्युशर सीओटू टाईप क्षमता 4.5 के0जी0–	02 अदद
4–	मेकेनिकल फोम ट्राली क्षमता 50 लीटर–	02 अदद
5–	फायर बकेट्स क्षमता 09 लीटर बालू/पानी (मय् स्टेण्ड)	08 अदद

6– धूम्रपान निषेध बोर्ड।

7– बालू/रेत का भण्ड़ारण 6×6×6 घन फुट आरक्षित रखा जाय तथा साथ में 02 अदद बेलचे रखे जायें।

8– फायर सर्विस के टेलीफोन नम्बर 101, 2623800, 9454418785–86 पुलिस कन्ट्रोल रूम टेलीफोन नं0 112 एवं स्थानीय पुलिस स्टेशन के टेलीफोन नं0 बोर्ड लगवाये जाये।

9– स्ट्रेचर, रस्सा, फर्स्ट एड बॉक्स व स्थानीय नर्सिंग होम के टेलीफोन नम्बर रखे जाये।

10– प्राथमिक अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ का रखा जाना अनिवार्य होगा।

CFO ZUB

क्रमशः 2 पर

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल टैरटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

11– एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, एक्सप्लोसिव रूल्स 2008, एक्सप्लोसिव सबस्टेन्शज एक्ट 1908 का पालन अनिवार्य होगा।

12– समस्त निर्माण कार्य एक्सप्लोसिव रूल्स–2008, पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार करायें जायेगें।

13– प्रस्तावित स्थल के ऊपर किसी प्रकार की हाई वोल्टेज लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

14– प्रस्तावित स्थल मानचित्र में अंकित पेट्रोलियम पद्धार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पद्धार्थ का भण्डारण अथवा विक्रय नहीं किया जायेगा।

15– प्रस्तावित स्थल पर ऑयल इण्डस्ट्रीज सैफ्टी डायरेक्टिव्स 179 में दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16– मानचित्र में दर्शाये गये नोट के दिशा-निर्देशों एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा लागू दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

17– प्रस्तावित HSD/MS न्यू रिटेल आउटलेट स्थल का संचालन करने से पूर्व प्रस्तावित की गयी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को स्थापित कराकर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय, आबू का मकबरा, केसरगंज मेरठ के द्वारा खसरा नं0–128, स्थित ग्राम–बेगमपुर, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर पर प्रस्तावित MS/HSD न्यू रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु इस शर्त के साथ संस्तुति की जाती है कि प्रस्तावित स्थल का निर्माण प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा तथा संचालन/भण्डारण कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कराना आवश्यक है। अन्यथा निर्गत की जा रही आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(कुमार रमाशंकर तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपिः–1–प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मुजफ्फरनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2– आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ0प्र0)

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)